

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम में दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना अपेक्षित है तो इसे इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, संबंधित नियमावलियों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन की प्रक्रिया

बजट प्रबंधन से संबंधित बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत) के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं:

(i) राज्य के बजट अनुमान को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना है (नियम 52)।

(ii) विभिन्न विभागों के नियंत्री अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अनुमानों की जाँच वित्त विभाग द्वारा किया जाना है और प्रथम संस्करण बजट को सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु संकलित करना है (नियम 79)।

(iii) समस्त प्रत्याशित बचतों को, जब वे पूर्वज्ञात हों सरकार को अविलंब अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि वे किन्हीं अन्य इकाइयों के अंतर्गत अनुदान से हुए आधिक्य व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक न हों। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए (नियम 112)।

(iv) व्यय के नये विशिष्ट मदों को पूरा करने या दत्तमत अनुदानों में संभावित आधिक्य को पूर्ण करने हेतु अनुपूरक अनुदान वित्त विभाग के परामर्श से प्राप्त किया जाना चाहिए (नियम 117)।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनुदानों में 2017-18 के दौरान अत्यधिक बचत अवलोकित किया जो बजट प्रबंधन में कमियों को इंगित करता है जैसा अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1 : वर्ष 2017-18 के मूल/अनुपूरक अनुदानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोग	*वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल मार्च 2018 में अभ्यर्पित राशि	मार्च में अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (कॉ.6/कॉ.5)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत	(I) राजस्व	58,084.33	46,301.28	11,783.05	7,336.38	7,336.38	100.00
	(II) पूँजीगत	14,189.95	11,952.71	2,237.24	1,100.39	1,100.39	100.00
	(III) ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	2,022.87	1,851.67	171.20	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	74,297.15	60,105.66	14,191.49	8,436.77	8,436.77	100.00
भारित	(IV) राजस्व	4,806.96	4,759.96	47.00	128.29	128.29	100.00
	(V) पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(VI) लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,057.17	2,949.50	107.67	48.67	48.67	100.00
कुल भारित	7,864.13	7,709.46	154.67	176.96	176.96	100.00	
सकल योग	82,161.28	67,815.12	14,346.16	8,613.73	8,613.73	100.00	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

*व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 109.16 करोड़) को घटाकर लेखे में वसूलियों को समायोजित किये बिना सकल आँकड़े हैं।

टिप्पणी: संबद्ध शीर्षों में ₹ 571 करोड़, जो 2017-18 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 03 अक्टूबर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तक के व्यय के आँकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताये गये।

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 14,346.16 करोड़ (कुल बजट का 17.46 प्रतिशत) का कुल बचत ₹ 14,611.66 करोड़ (राजस्व खंड के अधीन 54 दत्तमत अनुदानों एवं चार विनियोगों में ₹ 12,095.55 करोड़ और पूँजीगत खंड के अधीन 37 अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 2,516.11 करोड़) के बचत तथा एक अनुदान और एक विनियोग में ₹ 265.50 करोड़ आधिक्य के समायोजन का परिणाम था।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 14,346.16 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध, ₹ 8,613.73 करोड़ (60.04 प्रतिशत) मार्च 2018 में अभ्यर्पित किया गया जिससे वित्त विभाग के पास अन्य विकसित उद्देश्यों हेतु विवेकपूर्ण ढंग से निधि का उपयोग करने के लिए कोई समय नहीं बचा।

आगे यह पाया गया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने और अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्य व्यय से बचाव हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा भेजे गये मासिक सिविल लेखा विवरणी एवं मासिक विनियोग लेखाओं का उपयोग करने में वित्त विभाग विफल रहा।

अग्रतर, यह पाया गया कि झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18 में वर्णित कुल 1,504 उप-शीर्षों में से विभाग द्वारा केवल 323 उप-शीर्षों के बचत/अधिक्य का कारण बताया गया जबकि 1,168 उप-शीर्षों में बचत एवं 13 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण नहीं बताया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुश्रवण करना चाहिए ताकि निधियाँ अनावश्यक रूप से रोककर नहीं रखी जाय और यथाशीघ्र अभ्यर्पित कर दी जाय ।

2.4 वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन

2.4.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

₹ 14,346.16 करोड़ के कुल बचत में से, 21 अनुदानों से संबंधित 24 मामलों में ₹ 11,501.23 करोड़ (80 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित है। इन मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ को पार कर गया एवं अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक था।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ व उससे अधिक तथा अनुदान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5,575.70	3,342.13	2,233.57	40.06
2	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	7,032.03	5,327.95	1,704.08	24.23
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,519.16	2,537.71	981.45	27.89
4	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,342.46	2,523.16	819.30	24.51
5	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,869.73	1,089.71	780.02	41.72
6	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,550.39	838.92	711.47	45.89
7	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,747.35	1,156.72	590.63	33.80
8	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,346.34	917.62	428.72	31.84
9	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	792.92	523.24	269.68	34.01
10	41-पथ निर्माण विभाग	551.66	291.19	260.47	47.22
11	23-उद्योग विभाग	466.97	233.28	233.69	50.04

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
12	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	375.42	215.49	159.93	42.60
13	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	308.98	175.47	133.51	43.21
14	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	192.41	72.80	119.61	62.16
15	27-विधि विभाग	415.05	295.76	119.29	28.74
16	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	421.43	312.04	109.39	25.96
17	26- श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	241.69	133.60	108.09	44.72
राजस्व-भारित					
18	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	230.00	0.00	230.00	100.00
पूँजी - दत्तमत					
19	49- जल संसाधन विभाग	1,911.06	1,230.06	681.00	35.63
20	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	525.00	309.49	215.51	41.05
21	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	667.48	459.09	208.39	31.22
22	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	366.44	198.91	167.53	45.71
23	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	456.35	332.26	124.09	27.19
24	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	440.78	328.97	111.81	25.37
कुल दत्तमत		34,346.80	22,845.57	11,501.23	33.49

स्रोत: वर्ष 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

अनुदान सं. 42 एवं 59 के अंतर्गत बचत के मुख्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(क) अनुदान संख्या 42 ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

- भारत सरकार द्वारा मजदूरी अंश के एन.ई.-एफ.एम.एस. (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) खाते में सीधे तौर पर स्थानांतरण और केन्द्रांश/राज्यांश कम विमुक्त किये जाने के कारण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ₹ 2,216.98 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹ 1,770.68 करोड़ (80 प्रतिशत) का उपयोग विभाग द्वारा नहीं किया गया।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ₹ 89.97 करोड़ का संपूर्ण आवंटन उपयोग नहीं किया गया जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 86.47 करोड़ अभ्यर्पित किया गया जबकि ₹ 3.50 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो गया।
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 497.97 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹ 125.29 करोड़ (25 प्रतिशत) का इस्तेमाल नहीं किया गया।

(ख) अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)

- i) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जे.ई.पी.सी.) को सहायता अनुदान के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के सुदृढीकरण के लिए ₹ 550.74 करोड़ की सम्पूर्ण आवंटित राशि का इस्तेमाल विभाग द्वारा नहीं किया गया था जिसमें ₹ 220.00 करोड़ अभ्यर्पित किया गया एवं ₹ 330.74 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय हो गया। झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना हेतु ₹ 150.00 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 129.32 करोड़ (86 प्रतिशत) अनुपयोगित रह गया।
- ii) सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान की ₹ 1,600.00 करोड़ राशि के विरुद्ध ₹ 223.54 करोड़ (14 प्रतिशत) की राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया एवं अभ्यर्पित कर दिया गया।
- iii) ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) के अंतर्गत ₹ 105.00 करोड़ की सम्पूर्ण आवंटित राशि अनुपयोगित रह गई तथा विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया।
- iv) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य योजना के लिए ₹ 20.00 करोड़ की कुल आवंटित राशि में से ₹ 19.40 करोड़ (97 प्रतिशत) की राशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

उपर्युक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त, 43 मामलों में (31 अनुदानों/विनियोगों), बचत, प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक और अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक, था जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में ₹ 12,209.64 करोड़ के कुल बचत सहित वर्णित है। अग्रतर, 25 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 83 उप-शीर्ष/योजनाओं में प्रत्येक मामले में बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक हुआ जिसकी समग्र राशि ₹ 5,983.83 करोड़ (कुल बचत का 54 प्रतिशत) थी। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिये गये हैं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वास्तविक जरूरतों के आधार पर बजट तैयार करना चाहिए तथा आवंटित राशि का सर्वोत्तम इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, जब कभी बचत प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग को वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है।

वर्ष 2017-18 के दौरान 39 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 13,704.92 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 6,119.50 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ व अधिक) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। आगे, यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान, एक अनुदान (अनुदान संख्या 41) में ₹ 3.35 करोड़ का अभ्यर्पण वास्तविक बचत से अधिक था जो इंगित करता है कि संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्पण पत्रों के प्रस्तुत करने के पश्चात भी व्यय किया गया। मार्च 2018 में

अभ्यर्पित ₹ 5,388.34 करोड़ बचत से संबंधित 168 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) की सूची परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

अनुशंसा: समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.3 सतत बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलों (10 विभागों) में कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुई थी (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: 2013-18 के दौरान सतत बचत इंगित करती अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व - दत्तमत						
1	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवारकल्याण विभाग	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)	707.26(27)	981.45(28)
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)	526.05(36)	711.47(46)
3	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)	394.96(26)	428.72(32)
4	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)	161.11(31)	74.20(14)
5	23-उद्योग विभाग	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)	153.01(34)	233.69(50)
6	49-जल संसाधन विभाग	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)	132.77(33)	70.89(18)
7	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	308.12(30)	349.95(28)	1088.29(73)	110.77(39)	108.09(45)
8	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)	95.59(33)	159.93(43)
9	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)	29.27(17)	109.39(26)
10	17-वाणिज्य कर विभाग	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)	19.49(27)	8.08(11)
पूँजीगत - दत्तमत						
11	49-जल संसाधन विभाग	1,130.96(68)	1,196.28(68)	544.62(33)	389.76(26)	681(36)

कोष्ठक के आँकड़े अनुदान के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

इन वर्षों में सतत वृहत बचत अनुदानों के अंतर्गत असंगत आकलन को इंगित करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ निष्पादित करनेवाले छः विभागों के कुछ मुख्य योजनाओं में बचत के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

**अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	63.51	18.42 (29)	70.01	41.67 (60)	60.00	28.22 (47)
2	राष्ट्रीय उद्यान मिशन कार्यक्रम	105.00	57.40 (55)	90.00	43.10 (48)	75.00	35.17 (47)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	23.00	11.91 (52)	25.00	11.65 (47)	30.00	14.77 (49)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण विकास प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य के लिए योजना	400.00	227.80 (57)	362.00	86.98 (24)	497.97	125.29 (25)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	बालिका छात्रावास की स्थापना	73.56	58.18 (79)	47.30	23.82 (50)	40.95	4.94 (12)
2	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	198.59	80.53 (41)	198.57	40.91 (21)	203.33	111.99 (55)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

**अनुदान संख्या 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान	1,997.02	961.21 (48)	1,699.50	635.68 (37)	1,600.00	610.15 (38)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस)	589.36	299.97 (51)	400.00	148.95 (37)	404.53	88.75 (22)
2	किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	66.04	45.32 (69)	68.76	39.74 (58)	68.78	56.33 (82)
3	समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.)	27.60	21.24 (77)	24.00	9.80 (41)	41.35	12.68 (31)

स्रोत: वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुशंसा: समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.4.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जो विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक टालने योग्य न हों, के लिए दिये जाने हैं। आकस्मिकता निधि का संग्रह वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 500 करोड़ था।

यह पाया गया है कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदा पर किया गया व्यय कुल निकासी का केवल एक से 11 प्रतिशत था जबकि 2017-18 में यह व्यय कुल निकासी का 31 प्रतिशत था।

इसके आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से 49 अवसरों पर ₹ 337.55 करोड़ आहरित किये गये। इसमें से 24 अवसरों पर ₹ 226.17 करोड़ की कुल राशि की निकासी वैसे व्यय हेतु की गयी जिनका पूर्वानुमान बजट अनुमानों को तैयार करते समय ही लगाना चाहिए था, और इसलिये ये न तो अप्रत्याशित और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के थे। विवरण तालिका 2.4 में दिये गये हैं।

तालिका 2.4: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)
1	2070-00-104-04	अन्वेषण ब्यूरो	0.50
2	2070-00-104-01	लोकायुक्त कार्यालय	0.18
3	2070-00-800-11	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह	5.00
4	2014-00-102-03	मशीन एवं यंत्र	2.12
5	2014-00-102-01	नये मोटर वाहन का क्रय	0.06
6	2015-00-106-03	घरेलू यात्रा दौरा एवं कार्यालय व्यय	1.70
7	2011-02-103-01	नये मोटर वाहन का क्रय	0.36
8	2515-00-001-54	कार्यालय व्यय	30.00
9	2235-02-106-39	वेतन एवं भत्ते	0.85
10	2235-60-200-13	सहायता अनुदान	3.06
11	2052-00-090-24	नये मोटर वाहन का क्रय	0.14
12	2055-00-109-01	संविदा भत्ता एवं वर्दी व्यय	20.00
13	2055-00-001-03	आपूर्ति एवं सामग्री	2.00
14	2055-00-001-12	अन्य व्यय	5.15
15	2217-80-191-06	सहायता अनुदान	12.28
16	2217-80-192-06	सहायता अनुदान	5.97
17	4700-80-789-12	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य संसाधन कार्यक्रम	30.00
18	4700-80-796-12	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य संसाधन कार्यक्रम	45.00
19	4055-00-211-01	पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण	10.30
20	4055-00-211-01	आपूर्ति एवं सामग्री	7.30
21	3454-01-101-05	मानदेय	4.00
22	2220-60-101-02	विज्ञान एवं प्रचार	8.28
23	2220-60-796-21	अन्य व्यय	21.41
24	2220-60-796-05	प्रकाशन	10.51
कुल			226.17

स्रोत: आँकड़े प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा संकलित।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि को गैर-आकस्मिक व्यय हेतु अग्रधन खाते के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान निधि से कुल निकासी की प्रतिपूर्ति अगस्त 2017 (₹ 136.09 करोड़), दिसम्बर 2017 (₹ 200.85 करोड़) तथा फरवरी 2018 (₹ 0.60 करोड़) के अनुपूरक बजट से की गई।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम का उपयोग केवल अत्यावश्यक एवं अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए किया जाय।

2.4.5 विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोग के आधिक्य को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करवाना अनिवार्य है।

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2016-17 तक प्रावधानों से ₹ 2,749.87 करोड़ के आधिक्य व्यय को विनियमित किया जाना बाकी था (नवम्बर 2018) जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है। विनियमित किये जाने हेतु लंबित आधिक्य व्यय की वर्ष-वार राशि तालिका 2.5 में सारांशीकृत है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25 व 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		@
2006-07	38		\$
2010-11	32		0.10
2011-12	15 एवं 25	14	420.16
2012-13	7, 15 एवं 42	14	1,263.18
2013-14	15	13 एवं 14	694.05
2014-15	42	13	361.21
2016-17	32	14	10.75
कुल			2,749.87

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 थी

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 थी

इसके अतिरिक्त, 2017-18 से संबंधित निम्न आधिक्य व्यय जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है, को भी विनियमित किया जाना है।

तालिका 2.6 : 2017-18 के दौरान हुए प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
भारित विनियोग				
1	13-ब्याज संदाय	4,467.99	4,661.68	193.69
दत्तमत अनुदान				
2	15- पेंशन	5,841.43	5,913.24	71.81
कुल		10,309.42	10,574.92	265.50

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

अनुशंसा: वित्त विभाग को ₹ 3,015.37 करोड़ के आधिक्य व्यय को विनियमित करने हेतु शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

2.4.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान ₹ 6,487.86 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से 41 मामलों में, (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त ₹ 3,225.18 करोड़ (50 प्रतिशत) का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है। इन सभी मामलों में, यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत दिये गये मूल आवंटन व्यय नहीं हुए और इन उप-शीर्षों के अंतर्गत वृहत बचत हुई।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

वर्ष 2017-18 के दौरान 19 उप-शीर्षों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में वर्णित है, अत्यधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जैसा कि संबंधित परिशिष्ट में दर्शाया गया है, 10 योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38.59 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गयी फलस्वरूप ₹ 34.43 करोड़ की बचत हुई, जबकि वर्ष के अंत में दो योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 7.59 करोड़ अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया जिससे उन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 0.13 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। अग्रतर, तीन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 12.47 करोड़ पुनर्विनियोजित किया गया जो उन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 0.39 करोड़ के अधिक व्यय को देखते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.4.8 निधियों का वृहद अभ्यर्पण

88 मामलों में ₹ 1,438.45 करोड़ राशि की निधि (वैसे मामले जहाँ प्रावधानों का शत प्रतिशत तथा प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण हुआ) अभ्यर्पित की गयी, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पूर्ण नहीं हो सका। विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

अनुशंसा: सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाय।

2.5 व्यय का वेग

झारखण्ड बजट नियमावली का नियम 113 निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता को वित्तीय नियमितता भंग होने के रूप में माना जायगा। विस्तृत व्यय का समरूप प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है।

तथापि, यह देखा गया कि ₹ 10,083.23 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष के अंतिम तिमाही में 13 अनुदानों में ₹ 5,956.80 (59.08 प्रतिशत) करोड़ व्यय किया गया जैसा **परिशिष्ट 2.9** में वर्णित है। मार्च 2018 के महीने में ₹ 3,913 करोड़ (कुल व्यय का 38.81 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसके आगे यह पाया गया कि पर्यटन, कृषि एवं शहरी विकास विभाग द्वारा मार्च 2018 में ए.सी. विपत्र के द्वारा ₹ 9.30 करोड़ की निकासी की गई जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता अस्वस्थ परिपाटी तथा लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम को अपरिहार्य बनाता है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता को नियंत्रण करने के लिए नियम बनाना चाहिए।

2.6 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पुस्तकों से प्राप्ति एवं व्यय के मासिक एवं त्रैमासिक आँकड़ों को मिलाने के लिए बिहार बजट नियमावली की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बजट नियंत्री अधिकारियों को बार-बार कहते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागाध्यक्षों ने वर्ष 2017-18 के दौरान कुल प्राप्ति राशि ₹ 60,960.38 करोड़ के विरुद्ध ₹ 14,777.89 करोड़ (24.24 प्रतिशत) की प्राप्ति राशि का समाशोधन नहीं किया। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 67,705.95 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 38,030.28 करोड़ (66.17 प्रतिशत) समाशोधित नहीं किये गये। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक के असमाशोधित व्यय, जिसकी समग्र राशि ₹ 34,824.28 करोड़ थी, के विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिये गये हैं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को ऐसी क्रियाविधि विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें नियंत्री अधिकारी को, मासिक आधार पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी से नियमित रूप से समाशोधन करना आवश्यक हो।

2.7 अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया

2.7.1 प्रस्तावना

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.), झारखण्ड सरकार कई कार्यक्रम लागू करती है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए उचित रोजगार अवसर प्रदान करके तथा विनिर्माण द्वारा गरीबी कम करना है।

वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा सचिवालय एवं आठ¹ चयनित जिलों में जुलाई एवं अक्टूबर 2018 के बीच की गयी। इस अनुदान में चार² राजस्व मुख्य शीर्ष तथा एक³ पूँजीगत मुख्य शीर्ष शामिल हैं।

बजट प्रावधान ₹ 6,074.60 करोड़ के विरुद्ध ग्रा.वि.वि. ने केवल ₹ 3,836.63 करोड़ (63 प्रतिशत) का उपयोग किया गया जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,237.97 करोड़ (37 प्रतिशत) की बचत हुई। इसके अलावा, कुल बचत ₹ 2,237.97 करोड़ में से ₹ 1,283.34 करोड़ की राशि विभाग द्वारा अभ्यर्पित की गई तथा शेष ₹ 954.63 करोड़ की राशि व्यपगत हो गई जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: 2017-18 के दौरान बजट प्रावधानों, व्यय तथा बचत की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	476.89	5,522.58	5,999.47
अनुपूरक अनुदान	22.01	53.12	75.13
कुल अनुदान	498.90	5,575.70	6,074.60
व्यय	494.51	3,342.12	3,836.63
बचत	4.39	2,233.58	2,237.97
अभ्यर्पण (पुनर्विनियोजन)	2.98	1,280.36	1,283.34
व्यपगत	1.41	953.22	954.63

स्रोत: वर्ष 2017-18 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

¹ बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू एवं साहिबगंज

² 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवा

³ 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत व्यय

लेखापरीक्षा परिणाम

2.7.2 बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली का नियम 62 राज्य का बजट उचित और ससमय तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर का प्रावधान करता है। वित्त विभाग झारखण्ड सरकार ने सामान्य बजट और स्थापना व्यय का प्राक्कलन समर्पित करने की निर्धारित तिथि तथा एक अक्टूबर से क्रमशः 16 दिसम्बर 2016 तथा 21 नवम्बर 2016 संशोधित (अक्टूबर 2016) किया।

अभिलेखों के संवीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि 16 दिसम्बर 2016 के लक्षित तिथि के विरुद्ध ग्रा.वि.वि. ने सामान्य बजट और स्थापना व्यय का प्राक्कलन क्रमशः 23 एवं 49 दिनों के विलम्ब से 09 जनवरी 2017 तथा 21 नवम्बर 2016 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया।

इसके आगे यह पाया गया कि आठ नमूना-जाँच जिलों में, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) ने ग्रा.वि.वि. द्वारा निर्धारित लक्षित तिथि (14 नवम्बर 2016) के विरुद्ध चार से 47 दिनों के विलम्ब से ग्रा.वि.वि. को स्थापना व्यय का आकलन प्रस्तुत किया जबकि आम बजट प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

बजट कैलेंडर का गैर-अनुपालन न केवल बजट आकलन तैयार करने की सूची को प्रभावित करता है बल्कि विभिन्न स्तरों पर इसकी संवीक्षा हेतु अपेक्षित समय में कटौती करता है।

2.7.3 अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट आकलन

बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्री अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि दिए गए सभी विस्तृत ब्यौरे एवं विवरण सही हैं तथा पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा वितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवश्यकताओं के बिना बजट आकलनों (राज्य, केंद्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ) को विभागीय स्तर पर तैयार किया गया।

आगे यह पाया गया कि विभाग के बजट प्रावधानों एवं व्यय के बीच बड़े स्तर पर भिन्नता थी जिससे विगत तीन वर्षों के दौरान कुल आवंटन के 27 से 40 प्रतिशत की भारी बचत हुई।

2.7.4 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियामावली (यथा अंगीकृत) के नियम 57 के अनुसार आकलन तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन में व्यय से अधिक की राशि का प्रावधान न हो।

लेखापरीक्षा में यह पाया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 82 उप-शीर्षों में से छः उप-शीर्षों में इन योजनाओं के लिए मूल प्रावधानों की अनुपयोगिता के वाबजूद अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा अतिरिक्त निधि प्रदान की गई।

जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है, ₹ 237.39 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 227.35 करोड़ का व्यय किया गया जबकि अनुपूरक प्रावधान के द्वारा ₹ 12.77 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गई। इस प्रकार, अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी तथा इसे टाला जा सकता था।

तालिका 2.8: बजट प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व मुख्य शीर्ष	मूल	2017-18 के दौरान व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	2501-06-796-04	8.58	5.46	6.33
2	2501-06-796-14	10.20	8.97	0.56
3	2501-06-800-04	7.02	4.06	5.13
4	2505-01-796-01	1.50	1.46	0.31
5	2515-00-102-10	207.12	204.92	0.18
6	2515-00-796-09	2.97	2.48	0.26
कुल		237.39	227.35	12.77

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2017-18

2.7.5 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

बजट नियमावली (यथा अंगीकृत) के नियम 112 के अनुसार सभी प्रत्याशित बचतें, जब वे पूर्वज्ञात हो, वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल अभ्यर्पित की जानी चाहिए। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिये। अग्रतर, नियम 135 के अनुसार जब किसी अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट हो तो नियंत्री अधिकारी को उस राशि का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाना चाहिये कि वह अभ्यर्पित कर सकता है।

हमने पाया कि ₹ 6,074.60 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध 31 मार्च 2018 को ₹ 1,283.34 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2.98 करोड़ एवं राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,280.36 करोड़) अभ्यर्पित किया गया जिससे किसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इन राशियों के उपयोगिता की कोई गुंजाइश नहीं रही।

2.7.6 कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता

बिहार बजट नियमावली (यथा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे की टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने वाले उत्तदायी पदाधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वृहत राशि हेतु कोई प्राक्कलन शेष नहीं है जिसे व्यय किया जा सकता है।

वर्ष 2017-18 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से यह उदघटित हुआ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत छः योजनाओं में विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान ₹ 89.98 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया।

2.7.7 व्यय का वेग

प्रावधानों के अनुसार (बजट नियमावली का नियम 113) व्यय का वेग विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। अतः व्यय के वेग से विशेष रूप से अंतिम माह में बचा जाना चाहिए।

हमने यह पाया कि 93 शीर्षों (पूँजीगत-11 तथा राजस्व-82) में से 16 शीर्षों में वर्ष 2017-18 का कुल व्यय मार्च 2018 के माह में किया गया। इसके आगे, यह भी पाया गया कि आठ नमूना-जाँच डी.आर.डी.ए. में से सात डी.आर.डी.ए. में मार्च 2018 में 25 से 61 प्रतिशत के बीच व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में दिया गया है।

2.7.8 विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 अपेक्षा करता है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 3,836.64 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1,174.39 करोड़ की राशि विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं की गई जैसा कि तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: विभाग द्वारा राशि का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग के अनुसार)	राशि	असमाशोधित राशि
1	2501	633.04	304.63	328.41
2	2505	2,433.95	2,277.08	156.87
3	2515	270.03	64.47	205.56
4	3451	5.11	5.03	0.08
5	4515	494.51	11.04	483.47
	कुल	3,836.64	2,662.25	1,174.39

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेख

इसके आगे, आठ नमूना-जाँच डी.आर.डी.ए. में यह भी पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 74.53 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 74.17 करोड़ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बही से समाशोधित नहीं किया गया जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डी.आर.डी.ए. के नाम	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	डी.आर.डी.ए., बोकारो	8.75	0.00	8.75
2	डी.आर.डी.ए., पलामू	10.82	0.36	10.46
3	डी.आर.डी.ए., गढ़वा	8.11	0	8.11
4	डी.आर.डी.ए., गिरिडीह	11.31	0	11.31
5	डी.आर.डी.ए., दुमका	9.69	0	9.69
6	डी.आर.डी.ए., साहिबगंज	8.96	0	8.96
7	डी.आर.डी.ए., पश्चिमी सिंहभूम	10.99	0	10.99
8	डी.आर.डी.ए., चतरा	5.9	0	5.9
	कुल	74.53	0.36	74.17

2.8 अनुदान संख्या 45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की बजटीय प्रक्रिया

2.8.1 प्रस्तावना

सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) एवं ई-गवर्नेंस विभाग जून 2003 से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है।

वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान संख्या 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा सचिवालय में जुलाई एवं सितम्बर 2018 के मध्य किया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 214.41 करोड़ (योजना - ₹ 212.60 करोड़ एवं स्थापना- ₹ 1.81 करोड़) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग ने केवल ₹ 74.25 करोड़ (योजना - ₹ 72.54 करोड़ एवं स्थापना व्यय - ₹ 1.71 करोड़) (34.63 प्रतिशत) का उपयोग किया और ₹ 140.16 करोड़ (65.37 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया। इसके आगे जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है, वर्ष 2016-17 के अलावा विगत चार वर्षों के दौरान विभाग आवंटन का 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग करने के अक्षम रहा।

तालिका 2.11: विगत चार वर्षों में विभाग की बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	व्यय की प्रतिशतता
2014-15	राजस्व	91.28	6.03	97.31	49.10	48.21	52.86
	पूँजी	30.50	1.14	31.64	11.69	19.95	
	कुल	121.78	7.17	128.95	60.79	68.16	
2015-16	राजस्व	107.71	90.63	198.34	108.77	89.57	53.18
	पूँजी	34.00	00.00	34.00	0.01	33.99	
	कुल	141.71	90.63	232.34	108.78	123.56	

वर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	व्यय की प्रतिशतता
2016-17	राजस्व	148.35	9.27	157.62	123.68	33.94	21.32
	पूँजी	33.50	0.00	33.50	26.70	6.80	
	कुल	181.85	9.27	191.12	150.38	40.74	
2017-18	राजस्व	187.99	4.42	192.41	72.79	119.62	65.37
	पूँजी	22.00	0.00	22.00	1.46	20.54	
	कुल	209.99	4.42	214.41	74.25	140.16	

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

लेखापरीक्षा परिणाम

2.8.2 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

2017-18 के दौरान 15 योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग का बजटीय प्रावधान ₹ 200.75 करोड़ (मूल - ₹ 196.45 करोड़ तथा अनुपूरक - ₹ 4.30 करोड़) था। संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि दो योजनाओं के लिए प्रदान किया गया ₹ 2.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका 2.12 में दिखाया गया है। अंतः ₹ 2.80 करोड़ का अनुपूरक माँग अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा इसको टाला जा सकता था।

तालिका 2.12 : परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल	उपयोग की गई निधि	बचत
ई-कार्यालय	2.00	1.21	3.21	2.00	1.21
ई-गवर्नेंस-नये सरकारी विभाग का कंप्यूटरीकरण (टी.एस.पी.)	10.39	1.59	11.98	8.08	3.90
कुल	12.39	2.80	15.19	10.08	5.11

स्रोत: विभागीय आँकड़ें

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि हार्डवेयर की आवश्यकता के मूल्यांकन को अंतिम रूप नहीं देने और आवश्यकताओं की विलम्ब पुष्टिकरण के कारण निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आवश्यकताओं का मूल्यांकन/पुष्टिकरण अनुपूरक प्रावधान की माँग के पूर्व ही करना चाहिए था।

2.8.3 अनुपयोगित निधि का गैर-अभ्यर्षण

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 214.41 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने ₹ 140.16 करोड़ की बचत की जिसे अभ्यर्षित नहीं किया गया एवं 31 मार्च 2018 को व्यपगत हो गया।

विभाग को बचत का पूर्वानुमान होना चाहिए और इसे अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि सरकार द्वारा उसका उपयोग अन्य योजनाओं में किया जा सके।

2.8.4 संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग

अभिलेखों की संवीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि वित्तीय वर्ष की सात योजनाओं के लिए आवंटित सम्पूर्ण बजट (100 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया गया तथा इसे विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: योजनाओं एवं बजट प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट आकलन	अभ्यर्पण
1	आवास हेतु शिकायत एवं आपातकालीन सेवा कॉल सेंटर की स्थापना	2.00	2.00
2	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हेतु अनुदान	1.00	1.00
3	ई-मुलाकात	0.40	0.40
4	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा प्रोत्साहन	3.20	3.20
5	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (1368)	11.15	11.15
6	सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	0.50	0.50
7	डाटा सेंटर-एल.ए.एन. पोर्टल का रख-रखाव	5.00	5.00
कुल		23.25	23.25

स्रोत:- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

उपर्युक्त तालिका के अनुसार, पूरे वर्ष के दौरान सात योजनाओं पर कोई काम नहीं किया गया तथा संपूर्ण आवंटन को विभाग द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया।

अनुशंसा: बजट आकलन तैयार करते समय राज्य सरकार के विभाग को अपने बजट को अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु बजट नियमावली में शामिल प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान व्यय के प्रवाह को वित्त विभाग द्वारा अनुवीक्षा करना चाहिए ताकि बचत को कम किया जाय, निधियों को अनावश्यक न रखा जाय तथा विभाग द्वारा इसे समय पर अभ्यर्पित किया जाय।